झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या......06...... वर्ष 20..24.....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती निशा घोष,
ग्राम - जनार्दन पुर, पं० - बगाडेहरी,
प्रखण्ड - कुण्डहित, जामताड़ा ।

बनाम

वाद प्राप्त की तिथि
01/04/2024.

प्रतिवादी DSO जामताड़ा ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

<u>वाद सं0–06 / 2024</u>

परिवादी श्रीमती निशा घोष, ग्राम–जनार्दनपुर, पंचायत –बागडेहरी, प्रखण्ड–कुण्डहित, जिला–जामताड़ा का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक–19.01.2024 को आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवाद पत्र में उल्लेख है कि उनके द्वारा पूर्व में समर्पित शिकायत के मामले में आयोग के पत्र सं0–WA/001/2024 दिनांक–03.01.2024 पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा यथोचित कार्रवाई नहीं की गई।

उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक–01.01.2024 को वाट्सएप्प के माध्यम से PMMVY का लाभ नहीं दिये जाने से सम्बन्धित शिकायत दर्ज की गई थी। साथ ही उक्त मामले में दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई करने एवं PMMVY का लाभ दिलाने का अनुरोध किया गया था। उक्त प्राप्त शिकायत आयोग के उपरोक्त पत्र द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त के क्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक–51 दिनांक–11.01.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदनकर्ता द्वारा दिनांक–25.08.2023 को PMMVY से सम्बन्धित आवेदन दिनांक–25.08.2023 को ऑनलाईन इंट्री किया जा चुका है। यह भी कि उक्त योजना अन्तर्गत लाभुकों को भुगतान परियोजना एवं जिला स्तर से नहीं किया जाता है। लाभुक का भुगतान राज्य स्तर पर लंबित है।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–28.02.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।